उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या-01/2021-22

सरकार

बनाम्

मो0 जुनैद अंसारी

–: आदेश :–

दिनांक	
28.01.22	विपक्षी को नोटिश तामिला एवं समाचार पत्र में सूचना का प्रकाशन के बाद भी विपक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय आदेश हेतु निर्धारित किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया। वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के पत्रांक–1981/अप0शा0 दिनांक–28.05.2021 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। मामला देवडाड़ थाना काण्ड संख्या–08/2021 दिनांक–02.02.2021 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने धारा–379/414/34 भा0द0वि0 एवं 9/13 झारखण्ड मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ लींगल माईनिंग टॉस्पोर्ट) नियम 2017 के तहत जप्त वाहन ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17U-0418 तथा उस पर लदे कोयला को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन में अंकित है कि काण्ड वादी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर का मॉडल नं0–B275DIMKMDLX, चेचिस नं0–MBNAAADAPKRE04079 एवं इंजन नं0–RKE2DBN7124 के 1. मालिक, 2. चालक के विरूद्ध अवैध रूप से कोयला चोरी कर परिवहन करने के आरोप में अंकित किया गया है एवं प्रतिवेदन सं0–02 में इस कांड को धारा–414/34 भा0द0वि0 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक,परिवहन और भंडारण) नियम 2017, M.M.R.D. का नियम 4 एंव 30(II) कोल माईन्स एक्ट के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर मॉडल नं0–B275DIMKMDLX, चेचिस नं0–MBN AAADAPKRE04079 एवं इंजन नं0–RKE2DBN7124 का 1. मालिक, 2. चालक एवं अप्रा0अभि0, 3. कोयला का मालिक के विरूद्ध सत्य पाया गया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के द्वारा जप्त वाहन ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17U-0418 तथा उस पर लदे कोयला को राजसात की कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। विपक्षी को सूचना तामिला के बाद समाचार पत्र के माध्यम से सूचना देने के बाद भी विपक्षी उपस्थित नहीं हुए। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी को कुछ नहीं कहना है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि जप्त वाहन ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17U-0418 के द्वारा कोयला चोरी करने के आरोप में काण्ड अंकित किया गया है एवं जाँच में कोयला चोरी के आरोप को सत्य पाया गया है।

अतः जप्त वाहन ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17U-0418 तथा उस पर लदे कोयला को राजसात किया जाता है। आदेश की प्रति सभी संबंधित को निर्गत करें।

डी० सी०-09
28.01.22

लिखाया एवं शुद्ध किया।

28/01/22
उपायुक्त,
गोड्डा।

28/01/22
उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:08:09 +05:30
Location: 192.168.29.8